

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2013—श्रावण 22, शक 1935

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. 868-रास-यूए-5-2013.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 398-रास-यूए-5-2013, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 के अनुक्रम में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट डॉ. आर. के. सिंह, डायरेक्टर, नेशनल रिसर्च सेन्टर ऑन इक्यूनिस, सिरसा रोड, हिसार, हरियाणा को माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा धारा 22(2) (ड) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.